

कार्यालय-दरभंगा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार, दरभंगा

पत्रांक :- ५१

दिनांक :- ०५/०९/२५

प्रेषक :-

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
दरभंगा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार, दरभंगा।

सेवा में,

**VASTI HOMES PVT. LTD. PROJECT
EAST INTERNATIONAL CITY
UMESHNAGAR DARBHANGA
AT+VILL - SARA MOHAMMAD
P.S- SADAR, DARBHANGA**

विषय :- प्लान केश संख्या- आयोजना क्षेत्र प्राधिकार-05/2023-24 भवन निर्माण का नक्शा की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय आपके द्वारा प्रस्तुत भवन निर्माण नक्शा EAST INTERNATIONAL CITY उमेश नगर, दरभंगा खाता नं०-81,85,41,52,35 खेसरा-261,265,266,267,268 एवं 269 बिहार भवन उपविधि 2014 की कंडिका 315,316,317,414 एवं 419 एवं बिहार भवन (संशोधन) उपविधि, 2022 के अन्तर्गत निम्न शर्त पर आवासीय 20011.00 वर्गमीटर (G+4) भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाती है :-

1. बिहार भवन उपविधि 2014 एवं बिहार भवन (संशोधन) उपविधि 2022 के अनुसार प्रस्तावित भवन के चारों तरफ सेटबैक छोड़ा जाएगा।
2. भवन निर्माण के समय जल निकासी के प्रावधान नक्शा के अनुसार किया जाना है एवं बिहार भवन उपविधि 2014 एवं बिहार भवन (संशोधन) उपविधि 2022 के नियमानुसार प्राधिकार के नाले से भवन मालिक को ही अपने नाला को जोड़ना होगा।
3. भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जलापूर्ति, सेप्टिक टैंक एवं भविष्य में सिवरेज सिस्टम बिल्डिंग बायोलॉज के तहत किया जाएगा।
4. प्राधिकार में समर्पित भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र नक्शा आदि में त्रुटि एवं गड़बड़ी की जवाबदेही स्वयं आवेदक का होगा।
5. जिन अभियंता/तकनीकी व्यक्ति द्वारा नक्शा बनाया गया है, भवन निर्माण के दौरान उसके सुपरविजन में कार्य कराया जाएगा एवं समय-समय पर प्राधिकार को प्रतिवेदन देना होगा एवं भवन निर्माण पूर्ण होने पर प्राधिकार को सूचना देंगे तथा उनका प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।
6. भवन के सामने सरकारी सड़क एवं नाला का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। भवन निर्माण उपरान्त कम्प्लीशन प्रमाण-पत्र अभियंता के माध्यम से देना होगा।
7. भवन स्वामी को भवन उपविधि के अनुसार भवन के अन्दर की पार्किंग की व्यवस्था संलग्न नक्शा के अनुरूप करना अनिवार्य होगा।
8. स्वीकृत नक्शे का एक प्रति कार्य स्थल पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे ताकि समय-समय पर उसका जांच किया जा सकें।
9. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व दरभंगा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार, दरभंगा को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त कार्य में बिहार भवन उपविधि 2014 एवं बिहार भवन (संशोधन) उपविधि 2022 के उल्लंघन पर सरकारी दण्ड के भागी भवन स्वामी होगा।

इस शर्त पर नक्शा स्वीकृत किया जाता है यह स्वीकृति अगले पाँच वर्ष के लिये वैध होगा। किसी प्रकार के उल्लंघन/शिकायत होने पर स्वीकृत नक्शा रद्द कर दिया जाएगा एवं सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

बिहार भू-सम्पदा (विनियम और विकास)
नियमावली 2017 की शर्तों के अधीन
राज्य में गठित भू-सम्पदा प्राधिकरण से
इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।

VASTI HOMES PRIVATE LIMITED

ad. shah

DMC/354/0074/Portrait

DIRECTOR



विश्वासभाजन

04.09.24

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
दरभंगा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार, दरभंगा।